भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

वित्तीयसेवाएं वभिाग

लोक सभा

अतारांकति प्रश्न संख्या 3630

जसिका उत्तर15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दयिा गया

महलि कर्मचारयिोंहेतु टीएमपी

3630. श्रीजयदेव गल्लाः

क्या वत्तिमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लमिटिड अपनी स्थानांतरण एवं मोबलिटिी नीति (टीएमपी) को लागू करते समय, वशिेष रूप से उस परस्थिति में जब महलि अधकिारी वशिेष कार्य न कर सर्फि नयिमति कार्य कर रही है, उनको उनके पति की तैनाती वाले केंद्रों में ही तैनात करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दशिानर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त टीएमपी अपने वांछति उद्देश्य को पूरा कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं ऐसे मामलों की संख्या कतिनी है जहां अनुपालन कयिा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उच्चतम न्यायालय के नदिेश के अनुपालन हेतु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लमिटिड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वत्ति मंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीअनुराग सहि ठाकुर)

(क) से (ग): नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लमिटिड (एनआईसीएल) ने सूचति कयिा है कि वह सक्षम अधकिारति वाले माननीय न्यायालय के द्वारा जारी दशिानर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करते हैं। एनआईसीएल बोर्ड अभशिासति कंपनी है और वह अपनी स्थानांतरण एवं गतशिीलता (मोबलिटिी) नीति (टीएमपी) का पालन करता है। श्रेणी-II, श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV संवर्ग की महलिाओं को सामान्यत: उनके पति के तैनाती के स्थान पर या उनके गृह नगर में नयिुक्ति दी जाती है। इसके अलावा, कंपनी ने श्रेणी-I की महलि कर्मचारयिों के लएि टीएमपी में छूट दी है और उनके लएि आगे स्थानांतरण हेतु एक स्थान पर नयिुक्ति की समयावधि को 03 वर्ष से कम करके 02 वर्ष कर दयिा गया है।

*****